प्रदेश में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली

स्टूडेंट्स के प्रवेश की प्राथमिकता का क्रम तय किया गया

■ अब ई-मित्र के माध्यम से ही अभिभावक लॉटरी में अपना नंबर देख सकते हैं, इस साल राज्यभर से करीब 6.34 लाख आवेदन आए थे

बीकानेर, (निसं)। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए गुरुवार को जयपुर के शिक्षा संकुल में लॉटरी निकाली गई। स्टूडेंट्स के प्रवेश की प्राथमिकता का क्रम तय किया गया। पहले यह लॉटरी सुबह 11:30 बजे घोषित होनी थी, लेकिन बाद में इसका समय बदलकर शाम 4 बजे कर दिया गया था। हालांकि दोपहर एक बजे ही लॉटरी निकाली गई और अभिभावकों को सूचना मिलनी शुरू हो गई। अब ई-मित्र के माध्यम से ही अभिभावक लॉटरी में अपना नंबर देख सकते हैं। इस साल राज्यभर से करीब 6.34 लाख आवेदन आए हैं। वहीं निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की फीस का भुगतान सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फ्री शिक्षा योजना सरकार की है, इसलिए भुगतान भी सरकार को ही करना चाहिए।

निजी स्कूलों में आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश के लिए गुरुवार दोपहर जयपुर के शिक्षा संकुल में लॉटरी निकाली गई। इस बार पीपी-3 प्लस, पीपी-4 प्लस, पीपी-5 प्लस और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए थे। आवेदन के दौरान अभिभावकों को 5 स्कूलों तक का चयन करने का विकल्प दिया गया था। इसके तहत नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास में एडमिशन होंगे। यू-डाइस आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में करीब 33 हजार 548 प्राइवेट स्कूल हैं। इस तरह राज्य में कुल स्कूलों की संख्या एक लाख से ज्यादा है।

शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत प्रवेश के लिए 20 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च तय की गई थी। प्रदेशभर से 6 लाख 25 हजार 146 बालक-बालिकाओं ने 33 हजार 137 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए कुल 19 लाख 92 हजार 357 आवेदन किए। इनमें 3 लाख 29 हजार 165 छात्र, 2 लाख 95 हजार 970 छात्राएं तथा 11 थर्ड जेंडर आवेदक शामिल हैं। अब लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित स्टूडेंट्स के एडमिशन की आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उधर, प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार पर फीस का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। बीकानेर प्राइवेट स्कूल क्लब के अध्यक्ष मनोज व्यास ने कहा कि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की फीस का भुगतान सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है।

इस बार निशुल्क एडमिशन के लिए फर्जी डाक्यूमेंट्स लगाने वालों पर स्कूल प्रबंधन की ओर से एफआईआर करवाई जा सकती है। इसी कारण सरकार ने आवेदन के दौरान पैन कार्ड धारकों से पैन नंबर भी मांगा है। अगर आय प्रमाण पत्र गलत पाया गया तो स्कूल प्रबंधन इर्दे दर्ज करवा सकता है। बीकानेर जिले में भी आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में आवेदन हुए हैं। जिले के प्राइवेट स्कूलों में आरटीई सीटों पर एडमिशन के लिए अभिभावकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। लॉटरी के बाद चयनित स्टूडेंट्स को तय प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क एडमिशन दिया जाएगा।

माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि एक आवेदनकर्ता अधिकतम पांच स्कूलों में आवेदन कर सकता है। लॉटरी जारी होने के बाद अभिभावक अपने स्कूल चयन क्रम में 16 मार्च 2026 तक परिवर्तन कर सकेंगे। इसके बाद 17 मार्च को उपलब्ध सीटों के आधार पर स्टूडेंट्स को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। स्कूलों द्वारा आवेदकों के दस्तावेज का सत्यापन 25 मार्च 2026 तक किया जाएगा। यदि किसी आवेदनकर्ता को प्रवेश संबंधी कोई परिवेदना हो, तो वह अपने लॉगइन के माध्यम से 2 अप्रैल 2026 तक आरटीई पोर्टल पर दर्ज करा सकता है। इन परिवेदनाओं का निस्तारण संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी तथा संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा संभाग स्तर पर किया जाएगा।

यदि प्रथम चरण के बाद भी सीटें रिक्त रहती हैं, तो 7 अप्रैल 2026 को द्वितीय चरण में विद्यालय आवंटन किया जाएगा। इसके बाद भी रिक्तियां रहने पर 22 अप्रैल 2026 को तृतीय चरण में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लॉटरी के बाद अभिभावकों को यह जानकारी दी गई है कि उन्होंने जिन पांच स्कूलों का चयन किया था, उनमें उनके बच्चे की प्राथमिकता क्या है। अभिभावकों को अब उन स्कूलों में से ऐसे स्कूल का चयन करना होगा, जहां प्रवेश की संभावना अधिक हो। वहां जाकर मूल दस्तावेज जमा कराने होंगे। इसके बाद स्कूल प्रबंधन दस्तावेज का सत्यापन करेगा। यदि बच्चा उसी नगर निगम वार्ड का है जहां स्कूल स्थित है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। दूसरे वार्ड के मामले में आपत्ति दर्ज हो सकती है, जिसे संबंधित कार्यालय में आवेदन देकर दूर किया जा सकेगा। सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई एक अप्रैल से शुरू होगी।

उदयपुर में बीस हजार रूपये की रिश्वत लेते कांस्टेबल गिरफ्तार

■ सीओ पूर्व कार्यालय के साथी पुलिस कर्मियों की तलाश जारी

उदयपुर, (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल टीम ने पीड़ित से बीस हजार रूपये रिश्वत लेने वाले सीओ पूर्व कार्यालय के कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जबकि साथी पुलिस कर्मियों की तलाश की जा रही है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर पर परिवादी ने शिकायत की कि मेरा एकलिंगपुरा अण्डरपास के पास प्रतापनगर रोड़ की तरफ कार सर्विस का गैराज है, चार-पांच दिन पूर्व तीन-चार पुलिस वाले सादी वर्दी में सरकारी गाड़ी लेकर मेरे गैराज पर आये, जिनमें नागेन्द्रसिंह, शक्तिसिंह,अर्जुनसिंह व अनिल मीणा थे। उन्होंने डिप्टी साहब की स्पेशल टीम में होना बताया। जिन्होंने गाड़ियों के बोनट खोल कर चैक किये और मुझे धमकाया कि चोरी की गाड़ियां काटते हो, तुम्हारे खिलाफ शिकायत है। जिस पर मैने सारी गाड़ियों के कागज उन्हें दिखाये तो कहने लगे कि तुम्हारे गैराज में नाबालिग काम करते हैं, तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, तुम जीएसटी भी नहीं भरते हो, तुम्हारा गैराज सीज करवा देंगे। उसके बाद से सभी आए दिन गैराज पर आकर चैकिंग कर मुझे डरा धमकाकर परेशान कर रहे हैं और मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की एवज में 50 हजार रूपये मांग रहे हैं। इस पर मैने हाथ जोड़ी कर 25 हजार रूपये लेने की सहमति बनी। जिस पर उपमहानिरीक्षक एसीबी उदयपुर के डॉ. रामश्वरसिह के सुपरविजन में एसीबी स्पेशल यूनिट प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव जोशी के नेतृत्व में सीआई लक्ष्मण डांगी मय टीम ने रिश्वत राशि मांग का सत्यापन किया। जिसमें कांस्टेबल नागेन्द्रसिंह, एएसआई शक्तिसिंह शक्तिसिंह, कांस्टेबल अनिल मीणा द्वारा परिवादी महेन्द्र डांगी को उसके विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने एवं गैराज को सुचारू रूप से चलाने देने की एवज में 25 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी द्वारा रूपये कम करने की मांग करने पर 20 हजार रूपये लेने की सहमति एंव देने की पुष्टि हुई। जिस पर 11मार्च को ब्यूरो की टीम द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्रवाई करते हुए आरोपी नागेन्द्रसिंह वृत्त स्पेशल टीम वृत्त नगर पूर्व उदयपुर द्वारा परिवादी से 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ में बताया कि स्पेशल टीम के सदस्य शक्तिसिंह, अर्जुनसिंह, अनिल मीणा हमेशा ही सरकारी वाहन से सर्कल में जाते हैं, आज मैं अकेले ही मोटरसाइकिल पर आया हूं। वृत्त नगर पूर्व की स्पेशल टीम के अन्य आरोपी सदस्य एएसआई शक्तिसिंह, हैड कांस्टेबल अर्जुनसिंह व अनिल कांस्टेबल की तलाश जारी है। इस मामले में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भ्रटाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई की जा रही है।

अलवर के जंगल में लगी भीषण आग आईटीबीपी ट्रेनिंग कैंप तक पहुंची

तेज हवा से एक किमी तक फैली आग को ग्रामीण और जवान बुझाने में जुटे

अलवर, (निसं)। अलवर के जंगल में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग करीब एक किलोमीटर के दायरे में फैल गई।

घटना बेरेबास स्थित आईटीबीपी ट्रेनिंग कैंप के पास की है। तेज हवा से आग की लपटें कैंप के अंदर के हिस्से तक भी पहुंच गई, जिससे कैंप के अंदर के जंगल में भी आग लग गई। इससे कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंचे। आसपास के ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया, हालांकि कुछ स्थानों पर आग अभी भी सुलग रही है। आग को बुझाने में करीब 50 जवान और 100 ग्रामीण जुटे हैं। इस दौरान बेरेबास गांव और कंवर सिंह का बास के ग्रामीण भी मौजूद हैं।

बेरेबास गांव के ग्रामीण कासम ने बताया कि दोपहर करीब एक बजे जंगल में आग लगी थी। शुरुआत में आग छोटी लग रही थी, लेकिन तेज हवाओं के कारण वह तेजी से फैल गई। देखते ही देखते करीब एक किलोमीटर क्षेत्र में फैल गई। आग कैंप के अंदर के हिस्से तक भी पहुंच गई, जिसके बाद आईटीबीपी के जवान भी बाहर आए और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने में जुट गए।

कॉस्टेबल की हत्या के दोषी दस जनों को उम्रकैद

कोटा, (निसं)। पिस्टल से फायरिंग कर गोली मारकर कॉन्स्टेबल की गई हत्या के करीब सात साल पुराने मामले में एससी/एसटी न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पकड़े गये दस आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। रंजिश के चलते की गई हत्या के मामले में एससी/एसटी न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए गोली मारकर अभिमन्यू हत्याकांड के आरोप में पकड़े गये आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक रितेश मेवाड़ा ने बताया कि 4 फरवरी 2019 को फरियादी पंकज बागरी ने कैथून थाने में रिपोर्ट दी थी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि 3 फरवरी को अपने घर गलाना में सो रहे थे, तब मेघराज नागर अपने बेटों कुशराज, रामराज, तीरथराज अन्य साथियों के साथ घर पर आया और घर पर हमला कर दिया और हमले के दौरान तीरथराज ने उसके चाचा अभिमन्यु पर फायरिंग कर दी और पिता मथुरालाल के साथ मारपीट व हमला कर फरार हो गये। रिपोर्ट में कहा कि हमले में घायल उसके पिता मथुरालाल व चाचा अभिमन्यू को अस्पताल लेकर आये, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद अभिमन्यू को मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट में कहा कि मेघराज व उसके चाचा अभिमन्यू की 2 फरवरी 2019 को किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसकी रंजिश के चलते मेघराज ने अपने बेटों व अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है, जिसमें अभिमन्यू की मौत हो गई। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर मेघराज व उसके बेटों व अन्य के खिलाफ हत्या की धारा सहित अन्य धाराओं व एससी/एसटी एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए गलाना निवासी मेघराज, उसके बेटे कुशराज, रामराज, तीरथराज सहित दिनेश, भगवान, नवीन कुमार, ओमप्रकाश, हेमराज एवं शैलेन्द्र को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अनुसंधान करते हुए आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि मृतक पुलिसकर्मी का भाई था। ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा ने बताया कि गोलीकांड में मृतक अभिमन्यु कॉन्स्टेबल के पद पर था। मामले में 40 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये।

शराब से भरा टेम्पो पकड़ा, दो तस्कर गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निसं)। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाइवे-48 पर एक टेम्पो से अवैध शराब जब्त की है। गत्तों की आड में 35 कार्टन शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने टेम्पो ड्राइवर सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 2 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है।

जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि डीएसटी को बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद निगरानी शुरू की गई। इस दौरान डीएसटी ने एनएच-48 पर बिछीवाड़ा में एक 3 पहिया टेम्पो को रोका। टेम्पो में गत्ते, स्क्रेप और कबाड़ भरा हुआ था। हालांकि, पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने तलाशी ली तो कबाड़ के नीचे अवैध शराब के कार्टन छिपाकर रखे गए थे। टेम्पो ड्राइवर शराब के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और न ही उसके पास शराब परिवहन के कोई वैध दस्तावेज थे। पुलिस ने टेम्पो से 35 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। टीम ने मौके से नानू पुत्र पोखर गुर्जर निवासी मालक मालिया, थाना देवगढ़, जिला राजसमंद और मुकेश पुत्र कैलाशनाथ जोगी निवासी कोठी, थाना पारोली, जिला भीलवाड़ा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों और जब्त वाहन को लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए बिछीवाड़ा थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

कोटा : यूडी टैक्स जमा नहीं करवाने पर कार्रवाई

दो मैरिज गार्डन, तीन शोरूम सीज़ किए

कोटा, (निसं)। नगरीय विकास कर जमा नहीं करवा रहे लोगों के खिलाफ नगर निगम ने गुरूवार को एक बार फिर कार्रवाई की। निगम की टीम ने गुरूवार को शहर में दो मैरिज गार्डन व तीन शोरूम सीज कर दिए। यह कार्रवाई होते ही हड़कंप की स्थिति बन गई और शाम तक एक दुकान मालिक ने बकाया करीब 4 लाख रूपए का यूडी टेक्स जमा करवा दिया। आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि नगरीय विकास कर के बकाए की वसूली के लिए कार्य योजना तैयार की गई हैं। उपायुक्त राजस्व धीरज कुमार सोनी के नेतृत्व में एक टीम लगातार उन सभी बकायादरों से सम्पर्क कर रही है जो लंबे समय से नगरीय विकास कर जमा नहीं करवा रहे हैं। पूर्व में भी निगम ने आकाश मॉल सहित कई दुकानों को सीज किया था।

अब निगम ने गुरुवार को सबसे पहले रायपुरा स्थित मरियम मैरिज गार्डन और गुलमोहर मैरिज गार्डन तथा मोटर मार्केट स्थित दो व शॉपिंग सेंटर स्थित एक दुकान को सीज कर दिया। इन सभी पर 33 लाख रूपए से अधिक का नगरीय विकास कर बकाया चल रहा था। ऐसे में शॉपिंग सेंटर स्थित साड़ी के शोरूम संचालकों ने कुछ ही देर बाद बकाया 4 लाख रुपए नगरीय विकास कर जमा करवा दिया जिस पर सीज को खोल दिया गया। बाकी दुकानदार भी शाम होते-होते अपना बकाया यूडी टैक्स की जानकारी लेने निगम कार्यालय पहुंच गए।

आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि नगरीय विकास कर वर्ष 2007 से संपूर्ण राजस्थान में लागू है। ऐसे में वे सभी आवासीय भवन और प्लॉट जो 2700 वर्ग फीट क्षेत्र से अधिक के हैं तथा व्यावसायिक प्लॉट और भवन जो 900 स्क्वायर फीट से अधिक क्षेत्र के हैं, सभी वर्ष 2007 से ही नगरीय विकास कर के दायरे में आते हैं। इन सभी भूखंड और भवन मालिकों से आग्रह है कि वे निगम कार्यालय में संपर्क कर अपना बकाया यूडी टैक्स जल्द से जल्द जमा करवा दें। आने वाले दिनों में निगम बकायेदारों के खिलाफ सीजिंग की कार्रवाई को और गति देगा।

आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि 2700 वर्गफीट से अधिक के आवासीय भवन और प्लॉट तथा 900 वर्गफीट से अधिक वाणिज्यिक भवन और प्लॉट नगरीय विकास कर के दायरे में आते हैं। नगरीय विकास कर भूखण्ड स्वामी के स्वनिर्धारण पर आधारित है, इस कारण कोई भी व्यक्ति नोटिस नहीं मिलने की बात कहकर कर जमा करवाने एसे बच नहीं सकता।

सिलेंडरों की किलल्त को लेकर चूरू में प्रदर्शन

चूरू, (निसं)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार चूरू जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से चूरू जिलाध्यक्ष व सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि, आपूर्ति में बाधित सप्लाई और कालाबाजारी के विरोध में केन्द्र सरकार के खिलाफ जिला कलैक्ट्रेट के आगे धरना-प्रदर्शन किया।

ईंधन की उपलब्धता को लेकर चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व सुजानगढ विधायक मनोज मेघवाल ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करने के साथ ही होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री यातायात में व्यवधान के बीच सरकार ईंधन की उपलब्धता को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। मेघवाल ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार महंगाई बढ़ रही है, घरेलू गैस सिलेंडर पर 60 रूपये और व्यावसायिक सिलेंडर पर 110 रूपये की बढ़ोतरी ने आमजन की रसोई में खटास पैदा कर दिया है।

33 केवी लाइन की चपेट में आया टेंटकर्मी

शादी की तैयारियों में हुआ हादसा

रामगंजमंडी, (निसं)। क्षेत्र के मायला गांव स्थित सामुदायिक भवन में शादी समारोह की तैयारियों के दौरान बड़ा हादसा हो गया। टेंट लगाने का काम कर रहा एक युवक अचानक 33 केवी बिजली लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया।

प्राप्त जानकारी अनुसार घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान विकास कुमार (20) पुत्र बिट्ठल, निवासी दुर्जनपुरा गांव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गांव के सामुदायिक भवन में शादी समारोह के लिए टेंट लगाने का काम चल रहा था। इसी दौरान टेंट की लोहे की पाइप ऊपर उठाते समय वह पास से गुजर रही 33 लकेवी बिजली लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे तेज करंट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

वहीं समारोह के दौरान हुये हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों ने तुरंत युवक को संभाला और स्थानीय लोगों की मदद से उसे रामगंजमंडी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए। शादी की तैयारियों के बीच हुए इस हादसे से गांव में चिंता और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की है कि सार्वजनिक स्थानों और कार्यक्रम स्थलों के पास से गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली लाइनों के प्रति सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

घर में युवक का शव मिला

रामगंजमंडी, (निसं)। आदर्श नगर रामगंजमंडी में गुरुवार सुबह एक युवक का शव उसके ही घर में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हो गए। मृतक की पहचान सुरेश सेन पुत्र गोरधन लाल सेन निवासी आदर्श नगर रामगंजमंडी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार सुबह युवक घर के अंदर अचेत अवस्था में मिला। परिजन तुरंत उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

रेल दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये देने का आदेश

■ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि 45 दिन के भीतर भुगतान नहीं होने पर 11 जुलाई 2023 से वसूली तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा

जालोर, (कासं)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जालोर के पीठासीन अधिकारी धनश्याम यादव ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए रेल दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को बीमा क्लेम की राशि दिलाने का आदेश दिया है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को 45 दिन के भीतर 10 लाख रुपये की बीमा राशि भुगतान करने के साथ तीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया।

परिवादी फरीदा बानो पत्नी स्व. हकीम खां निवासी खेडा बोरटा ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि उनके पति हकीम खां ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 24 अप्रैल 2022 को ई-मित्र के माध्यम से बीमा निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जालोर से करवाया था और इसके लिए 850 रुपये प्रीमियम जमा कराया गया था। योजना के अनुसार 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक बीमा अवधि मान्य थी। 24 अक्टूबर 2022 को उनके पति खेत पर जाते समय रेलवे पटरी पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद परिजनों ने दुर्घटना बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया, लेकिन यह कहते हुए दावा अस्वीकार कर दिया गया कि बीमा प्रीमियम संबंधित खाते में जमा नहीं हुआ था। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने पाया कि संबंधित विभागों की लापरवाही के कारण परिवादियों को बीमा लाभ नहीं मिल पाया। इस पर आयोग ने राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग और जिला कलैक्टर जालोर को आदेश दिया कि वे संयुक्त रूप से परिवादियों को 10 लाख रुपये बीमा क्लेम राशि अदा करें। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि 45 दिन के भीतर भुगतान नहीं होने पर 11 जुलाई 2023 से वसूली तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा आयोग ने मानसिक कष्ट व आर्थिक हानि के लिए 20 हजार रुपये तथा परिवाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये सहित कुल तीस हजार रूपये देने का भी आदेश दिया है।

पावटा में अस्थाई डंपिंग यार्ड में आग लगी, बड़ा हादसा टला

■ डंपिंग यार्ड में बड़ी संख्या में गौवंश के रहने के कारण स्थिति गंभीर हो सकती थी

■ गौ रक्षकों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया, फायर बिग्रेड ने आग पर काबू पाया

पावटा, (निसं)। पावटा कस्बे में गोपाल भैया मंदिर के पास पावटा प्रागपुरा नगरपालिका द्वारा बनाये हुये अस्थाई डंपिंग यार्ड में गुरुवार को अज्ञात कारणों से अचानक आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। डंपिंग यार्ड में बड़ी संख्या में गौवंश के रहने के कारण स्थिति गंभीर हो सकती थी, लेकिन समय रहते गौ रक्षकों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया।

पावटा पालिका द्वारा बनाये हुये अस्थाई डंपिंग यार्ड में लगी आग को फायर बिग्रेड की मदद से बुझाया।

जानकारी के अनुसार डंपिंग यार्ड में अक्सर बड़ी संख्या में गौवंश कचरे के बीच अपना पेट भरने के लिए पहुंचता है। आग लगने की सूचना मिलते ही गौ रक्षक और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और गौवंश को सुरक्षित स्थान पर हटाया। उनकी तत्परता के चलते कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वहीं मौके पर पहुंची पालिका फायर बिग्रेड द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि डंपिंग यार्ड में रोजाना बड़ी संख्या में गौवंश कचरे के बीच प्लास्टिक की पॉलीथिन और अन्य हानिकारक सामग्री खाकर अपना पेट भरने को मजबूर हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर चिंता जताते हुए प्रशासन से डंपिंग यार्ड की उचित व्यवस्था करने और गौवंश के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कचरे के उचित निस्तारण और गौवंश की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है।

जोधपुर में मातृभाषा उत्सव 16 मार्च को

जोधपुर, (कासं)। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केन्द्र, मेहरानगढ़, राजस्थानी विभाग और बाबा रामदेव शोधपीठ, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में मातृ भाषा उत्सव 16 मार्च को समारोह पूर्वक मनाया जायेगा।

महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केन्द्र के सहायक निदेशक डॉ. महेन्द्रसिंह तंवर एवं राजस्थानी विभागाध्यक्ष डॉ. गजेसिंह राजपुरोहित ने बताया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर (डॉ.) पवन कुमार शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं हेमलता राज्ये की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में ख्यातनाम कवि आलोचक एवं साहित्य अकादमी में राजस्थानी परामर्श मण्डल के संयोजक प्रोफेसर (डॉ.) अर्जुनदेव चारण मुख्य वक्ता होंगे। प्रतिवर्ष दिया जाने वाला "हाजी जफ़र खाँ सिंधी राजस्थानी पुरस्कार" इस वर्ष आकाशवाणी केन्द्र, जोधपुर के प्रतिष्ठित राजस्थानी उद्घोषक गौतम राज नवल 'काकू' को प्रदान किया जायेगा।

दस लाख का मादक पदार्थ सहित दो तस्कर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। कनवास पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार में तलाशी में अवैध मादक पदार्थ 54 किलो 500 ग्राम डोडा-चूरा व 419 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम जब्त की है। पुलिस टीम ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। अवैध मादक पदार्थ की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 10 लाख रूपये कीमत बताई गई है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन रूट क्लीरियेंस अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्यवाही के लिये ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीना के निर्देशन में पुलिस उप अधीक्षक वृत सांगोद नरेन्द्र जैन के सुपरविजन मे कार्य योजना बनाकर कनवास थानाधिकारी अनूप सिंह ने मय जाब्ता कोटा-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी कर वाहनों की चैकिंग की। वाहन चैकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो कार में से अवैध मादक पदार्थ 54 किलो 500 ग्राम डोडा-चूरा व 419 ग्राम अफीम बरामद की। ग्रामीण एसपी ने बताया कि कार्यवाही के दौरान पकड़े गये अवैध मादक पदार्थ की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 10 लाख रूपये बताई गई है। पुलिस टीम ने मौके पर माल व कार को जब्त किया एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए जिला कोटपुतली-बहरोड़ ग्राम गवाना निवासी कुलदीप सोनी (24) एवं जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा मातावाला मोहल्ला गोद निवासी संजय (28) को गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपियों से अनुसंधान किया जा रहा है।

राजधानी एक्सप्रेस में छूटा बैग बरामद

कोटा, (निसं)। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में यात्रियों के छूटे सामान को सुरक्षित वापस दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन अमानत' के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन में छूटे यात्री के पिट्ठू बैग को बरामद कर उसे सुरक्षित लौटाया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई कि गाड़ी संख्या 12954 एक्सप्रेस के कोच बी-10 की सीट संख्या 28 पर यात्रा कर रहे यात्री शकील अहमद का पिट्ठू बैग ट्रेन में छूट गया है। बैग में एक लैपटॉप, चार्जर, पॉवर बैंक, एयर बड्र्स, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा दो चश्मे सहित लगभग 45 हजार रुपये मूल्य का सामान होना बताया गया। सूचना मिलते ही ट्रेन के कोटा आगमन पर रेलवे सुरक्षा बल के उपनिरीक्षक हरिओम एवं स्टाफ द्वारा संबंधित कोच की जांच कर बैग को बरामद कर सुरक्षित रूप से कोटा पोस्ट पर जमा कराया गया। उन्होंने बताया कि यात्री को इसकी सूचना दी गई। यात्री के कोटा पोस्ट पर उपस्थित होने पर रेलवे सुरक्षा बल के उपनिरीक्षक रामलाल बंशकार द्वारा आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण कर बैग को सही-सलामत यात्री को सुपुर्द कर दिया गया।